

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-91/2019-5517
प्रेषक,

/पटना, दिनांक-21/10/19

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

SL NO	Name of Division	Block	Name of Road	Length (in KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) In Lakhs	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Gopalganj-I	Gopalganj	NH-28 PCC Road To Mathia Sadulepur Road	1.300	39.02200	13.39400	3.90220	56.31820
2	Gopalganj-I	Gopalganj	Bishunpur tola to Chaturbagha	2.680	52.95700	24.32200	5.29570	82.57470
3	Gopalganj-I	Gopalganj	Karariya to Masanthana	3.080	66.01200	29.66100	6.60120	102.27420
4	Gopalganj-I	Katiya	Rampur kala To Pakhaghat Via Belahi Rampur	4.680	154.71200	48.64900	15.47120	218.83220
5	Gopalganj-I	Katiya	Surhuria To Baikunthpur	6.414	140.60900	65.15400	14.06090	219.82390
6	Gopalganj-I	Kuchaikote	Siswa to Pakari Hitapatti Road	6.100	162.17700	62.36000	16.21770	240.75470
7	Gopalganj-I	Kuchaikote	Semra Bathua to Sonikpur	2.000	52.34200	20.61700	5.23420	78.19320
8	Gopalganj-I	Kuchaikote	Tiwari Khareya to khutwania	4.370	111.44800	44.15200	11.14480	166.74480
9	Gopalganj-I	Kuchaikote	Pokharbinda To Tiwari Mathihani	10.580	241.95600	104.74800	24.19560	370.89960
10	Gopalganj-I	Kuchaikote	Semra Bathu Pitch Road To Rampur Jagga	3.100	71.37600	31.48700	7.13760	110.00060
11	Gopalganj-I	Kuchaikote	Hembardaha to Hiranda	4.200	98.34400	41.99400	9.83440	150.17240
12	Gopalganj-I	Kuchaikote	Madhomath to Bangal Khand	2.460	65.42900	24.46100	6.54290	96.43290
13	Gopalganj-I	Kuchaikote	Khem Mathania To Durg Mathania	6.620	154.88400	62.67200	15.48840	233.04440
14	Gopalganj-I	Kuchaikote	Sirisia Mahuawa PMGSY To Sasamusa Bazar	0.810	29.02600	8.55100	2.90260	40.47960
15	Gopalganj-I	Kuchaikote	Pakari to Jalalpur	4.370	111.79000	44.69800	11.17900	167.66700

8
21/10/19.

16	Gopalganj-1	Kuchaikote	Ahiyapur to Nirjalaha	3.700	83.94000	37.49300	8.39400	129.82700
17	Gopalganj-1	Kuchaikote	Ahiyapur to Swanhi Jagdish	3.160	84.69700	32.80600	8.46970	125.97270
18	Gopalganj-1	Kuchaikote	Semra To Tulachhapra	2.430	57.78000	24.52700	5.77800	88.08500
19	Gopalganj-1	Kuchaikote	Rajapur To Shahpur	3.140	71.49500	30.92500	7.14950	109.56950
20	Gopalganj-1	Kuchaikote	Unchkagaon to Narayanpur	2.515	63.08000	25.87200	6.30800	95.26000
21	Gopalganj-1	Kuchaikote	Construction of Road Chhatarpatti to Dumariya Mada	1.775	60.02600	16.76200	6.00260	82.79060
22	Gopalganj-1	Kuchaikote	Paharpur Dayal To Jalalpur	2.890	83.62700	30.36100	8.36270	122.35070
23	Gopalganj-1	Kuchaikote	Phulwaria To Bangra	3.460	103.20100	35.64200	10.32010	149.16310
24	Gopalganj-1	Kuchaikote	Sasamusa NH28 to Bakhari via Rampur Dauda	3.800	124.53600	39.69500	12.4536	176.6846
25	Gopalganj-1	Kuchaikote	SIRISIA To MAHUA	5.830	134.10800	60.32400	13.4108	207.8428
26	Gopalganj-1	Thawe	Brindawan to mirganj	5.700	170.14700	57.83900	17.01470	245.00070
Total				101.164	2588.72100	1019.16600	258.87210	3866.75910

- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-1 योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBDआधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.06.2019 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 5.9.19 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-91/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
- संबंधित योजना U/SRIकैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
- बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
- वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
- यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
- प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8/21/10/19.

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4(मु0)-3054 04-91/2019 के पृ0- 20/टि0 पर दिनांक- 18.10.19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
21/10/19
(संजय दूबे)
अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-91/2019-55/7/पटना, दिनांक-21/10/19
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/19
अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-91/2019-55/7/पटना, दिनांक-21/10/19
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/उप विकास आयुक्त, गोपालगंज/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/10/19
अपर सचिव